

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पारपत्र) विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-3(ए) 74/2006/ए-1/दो
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 / 1 / 2019

✓ पुलिस अधीक्षक
जिला-जबलपुर
(म0प्र0)

- विषय:- निवासवृद्धि पाक नागरिको-श्री वीरपवन उर्फ वीरूमल पुत्र श्री तीजोमल 2. श्री जयदेव पुत्र श्री वीरपवन उर्फ वीरूमल निवासी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश।
- संदर्भ:- आपका विशेष शाखा को संबोधित पत्र क्र0 जिविशा/जब./पाना/2016- (11.4) दिनांक 03.08.2018,

---00---

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र दिनांक 09.07.2018, एवं 09.01.2019 एवं स्थानीय अनापत्ति द्वारा पाक नागरिको श्री वीरपवन उर्फ वीरूमल पुत्र श्री तीजोमल को दि.30.06.2006 से 16.07.2020 तक 2. श्री जयदेव पुत्र श्री वीरपवन उर्फ वीरूमल को दि.15.01.2010 से 16.07.2020 तक अच्छे व्यवहार के आधार पर जिला-जबलपुर मध्य प्रदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार ही उनका आर0पी0 पृष्ठांकित किया जाकर, चेकपोस्ट को सूचना दी जाये। अगली अवधि के आवेदन यथासमय राज्य शासन को भिजवाने का कष्ट करें।

Sans
25.7.19
(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

पृ0 क्रमांक एफ-3(ए) 74/2006/ए-1/दो
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक / / 2019

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा (सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक विशा/15/पाक/2016-20 (32,34) दिनांक 04.01.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. आवेदिका श्री वीरपवन उर्फ वीरूमल पुत्र श्री तीजोमल निवासी 1442/2 सरस्वती कॉलोनी परिजात भवन के पीछे चेरीताल वार्ड जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. सामान्य शाखा गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर अपडेसन करने हेतु ।

1
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह (पारपत्र) विभाग

